NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 28-10-2026

विषय सूची

औषधि मूल्य नियंत्रण: स्वास्थ्य के अधिकार बनाम 'सुनियोजित' विनियमन

भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता

रिचर्ड जे. रॉबर्ट्स द्वारा भारत और विकासशील देशों के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों का समर्थन

कार्बन ग्रहण, उपयोग एवं भंडारण (CCUS)

ग्रे-ज़ोन वॉरफेयर रणनीति एवं वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)

संक्षिप्त समाचार

खजुराहो के मंदिर

अज़रबैजान

लिकटेंस्टाइन

अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)

अवसंरचना निवेश न्यास (InvITs)

औषधि मूल्य नियंत्रण: स्वास्थ्य के अधिकार बनाम 'सुनियोजित' विनियमन

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्थिक नीति को नागरिकों के जीवन पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की कीमतों को विनियमित करने के केंद्र सरकार के दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाए।

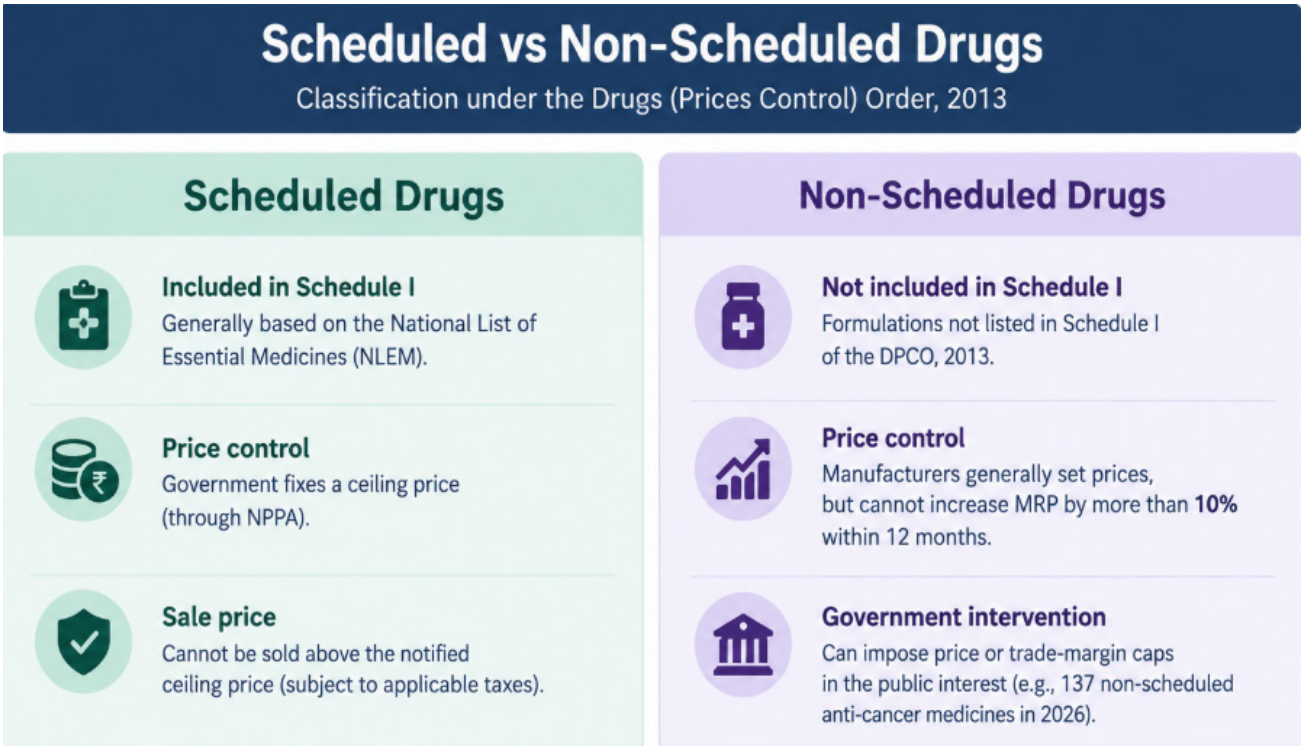
पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA), जो सरकार की औषधि मूल्य नियामक संस्था है, ने अनुसूची में शामिल न की गई 137 कैंसर-रोधी दवाओं के व्यापारिक मार्जिन को उनके अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30% तक सीमित कर दिया।
  - व्यापारिक मार्जिन से तात्पर्य उस अंतर से है, जो किसी दवा को खरीदने की कीमत और वितरकों, खुदरा विक्रेताओं या अस्पतालों जैसे मध्यस्थों द्वारा उसे बेचने की कीमत के बीच होता है।

औषधि मूल्य नियंत्रण पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

- न्यायालय ने अस्पतालों द्वारा दवाएँ खरीदने की कीमतों और मरीजों से वसूली जाने वाली कीमतों के बीच व्यापक अंतर पर सवाल उठाए।
- न्यायालय ने NPPA की अत्यधिक व्यापारिक मार्जिन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में विफलता पर भी चिंता व्यक्त की। इसके अतिरिक्त, उसने यह प्रश्न उठाया कि चुनिंदा कैंसर-रोधी दवाओं के लिए व्यापारिक मार्जिन संबंधी सीमाएँ क्यों लागू की गईं तथा क्या इसी प्रकार के सुरक्षा उपाय अन्य आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों पर भी लागू किए जाने चाहिए।

औषधि मूल्य विनियमन की वर्तमान व्यवस्था



- **औषधियाँ (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO), 2013:** आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी यह आदेश सरकार को अनुसूचित औषधि-योगों की कीमतों को विनियमित करने और गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों की निगरानी करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA):** यह प्राधिकरण औषधियाँ (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO), 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत दवाओं की कीमतें निर्धारित करने और उनमें संशोधन करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, यह नियमों के अनुपालन की निगरानी करता है, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है तथा औषधि संबंधी नीतियों पर सरकार को परामर्श देता है।
- **आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची (NLEM):** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की जाने वाली इस

सूची में उन दवाओं की पहचान की जाती है, जो स्वास्थ्य सेवा की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

- किसी दवा को NLEM में शामिल किए जाने से सामान्यतः उसके अंतर्गत आने वाले औषधि-योगों को DPCO के माध्यम से मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने का आधार प्राप्त होता है।

- **व्यापारिक मार्जिन का विनियमन और मूल्य निगरानी:** DPCO, 2013 के अंतर्गत अनुसूचित औषधि-योगों के अधिकतम मूल्य की गणना में खुदरा विक्रेता के लिए 16% का एक मानक मार्जिन शामिल किया जाता है।
  - गैर-अनुसूचित दवाओं के मामले में निर्माताओं को सामान्यतः कीमतें निर्धारित करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन विगत 12 महीनों की अवधि की तुलना में अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में वार्षिक वृद्धि 10% तक सीमित है।
  - सरकार जनहित में व्यापारिक मार्जिन पर विशिष्ट सीमाएँ भी निर्धारित कर सकती है।

न्यायालय के निर्णय का महत्त्व

- **स्वास्थ्य का अधिकार:** किफायती दवाओं तक पहुँच का संबंध संविधान के अनुच्छेद 21 से है, जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित अनुच्छेद 47 का भी समर्थन प्राप्त है। आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन इन संवैधानिक दायित्वों के आधार पर किया जाना चाहिए।
- **वित्तीय कठिनाइयों का समाधान:** अधिक कठोर विनियमन से मरीजों द्वारा स्वयं से किए जाने वाले स्वास्थ्य व्यय में कमी आ सकती है और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सेवा की अत्यधिक लागत के कारण उत्पन्न होने वाले गंभीर वित्तीय संकट से बचाया जा सकता है।
- **नियामक जवाबदेही:** यह निर्णय अत्यधिक मूल्य-वृद्धि पर अंकुश लगाने और अधिक वसूली गई राशि की समयबद्ध वापसी सुनिश्चित करने के लिए NPPA द्वारा सक्रिय एवं प्रभावी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- **नवाचार और निवेश पर प्रभाव:** औषधि उद्योग का तर्क है कि अनुसंधान, नवाचार, गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिफल का पूर्वानुमेय होना आवश्यक है।
- **असमान क्रियान्वयन:** विभिन्न अस्पतालों और राज्यों में दवाओं की खरीद संबंधी प्रक्रियाओं, मूल्य पारदर्शिता और नियामकीय प्रवर्तन में अंतर होने के कारण नियामकीय हस्तक्षेपों के लाभ सीमित हो सकते हैं।

आगे की राह

- **NPPA के प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करना:** मूल्य निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा नियमों के उल्लंघन के मामलों में उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता के अनुरूप दंड लगाया जाना चाहिए।
- **मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाना:** अस्पतालों और फार्मेसियों के लिए दवाओं की कीमतें सार्वजनिक करना तथा मदवार बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे मरीज विभिन्न स्थानों पर कीमतों की तुलना कर सकेंगे और अत्यधिक शुल्क की पहचान कर सकेंगे।
- **किफायती दवाओं तक पहुँच का विस्तार:** जन औषधि केंद्रों, जेनेरिक दवाओं के चिकित्सकीय नुस्खों को प्रोत्साहित करने तथा सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में प्रयास सुदृढ़ किए जाने चाहिए।
- **नियमित समीक्षा सुनिश्चित करना:** NLEM और मूल्य नियंत्रण के अधीन दवाओं की सूची को समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में नई चिकित्सा पद्धतियों, रोगों के बढ़ते भार और दवाओं की वहनीयता से संबंधित चिंताओं को शामिल किया जाना चाहिए।

स्रोत: TH

भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता

संदर्भ

- सेमीकंडक्टर शिखर सम्मेलन 2026 में सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के प्रमुख ने आयातित प्रौद्योगिकियों पर भारत की निर्भरता तथा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (R&D), विनिर्माण और विशिष्ट कौशलयुक्त प्रतिभाओं के विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया।

सेमीकंडक्टर पारितंत्र

- **वैश्विक स्थिति:** वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में वर्ष 2014 से 2024 के बीच 6.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की गई। आगामी 5–10 वर्षों में इसके 8.5% की दर से बढ़ने की संभावना है।
  - हालाँकि, हाल के व्यवधानों ने परस्पर संबद्ध वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला की कमजोरियों को उजागर किया है।
  - वर्तमान में ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखते हैं।
    - ताइवान अकेले वैश्विक चिप उत्पादन में 60% से अधिक तथा उन्नत चिपों के उत्पादन में लगभग 90% योगदान देता है।

- **भारत की स्थिति:** भारत में सेमीकंडक्टर की माँग वित्त वर्ष 2030 तक 110 अरब अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2035 तक 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है, जबकि घरेलू विनिर्माण अभी प्रारंभिक अवस्था में है।
  - भारत ने वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2025 के दौरान सेमीकंडक्टर उत्पादों के आयात पर लगभग 150 अरब अमेरिकी डॉलर व्यय किए। इस अवधि में आयात में 23% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई।
    - यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो वर्ष 2035 तक वार्षिक आयात 240 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है। इसलिए, एक व्यापक सेमीकंडक्टर पारितंत्र का निर्माण करना राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में अत्यंत आवश्यक है।

सेमीकंडक्टर रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्यों हैं?

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार:** सेमीकंडक्टर लगभग सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रमुख घटक हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** सेमीकंडक्टर चिपें रक्षा उपकरणों, निगरानी प्रणालियों, उपग्रहों, साइबर सुरक्षा अवसंरचना और रणनीतिक संचार नेटवर्क के लिए अपरिहार्य हैं।
- **औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता:** सशक्त सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमताओं वाले देश तकनीकी नेतृत्व और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठा रहे हैं।
- **प्रौद्योगिकीय संप्रभुता:** विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने के लिए घरेलू सेमीकंडक्टर उत्पादन आवश्यक है।



भारत का सेमीकंडक्टर मिशन

- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0:** यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण का एक व्यापक पारितंत्र विकसित करना है।
  - इस मिशन को ₹76,000 करोड़ की प्रोत्साहन व्यवस्था का समर्थन प्राप्त है। इसके अंतर्गत सिलिकॉन वेफर निर्माण संयंत्रों , कंपाउंड सेमीकंडक्टर सुविधाओं, असेंबली एवं परीक्षण इकाइयों तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - इस मिशन के अंतर्गत लगभग ₹1.64 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के साथ 12 सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
  - इन परियोजनाओं में सिलिकॉन फैब्रिकेशन इकाइयाँ, सिलिकॉन कार्बाइड फैब, उन्नत एवं मेमोरी पैकेजिंग सुविधाएँ तथा विशिष्ट असेंबली और परीक्षण अवसंरचना शामिल हैं।
- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0:** इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2026–27 में की गई।
  - ISM 2.0 का ध्यान भारत में सेमीकंडक्टर उपकरणों और सामग्रियों के उत्पादन, संपूर्ण भारतीय सेमीकंडक्टर बौद्धिक संपदा (IP) के डिजाइन तथा घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने पर केंद्रित होगा।
- सेमीकॉन 2.0 के अंतर्गत छह प्रमुख स्तंभों के माध्यम से सेमीकंडक्टर पारितंत्र का निर्माण करने का लक्ष्य है—
  - **डिजाइन:** सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमताओं को विकसित करना।
  - **मशीनें और सामग्रियाँ:** आवश्यक उपकरणों एवं सामग्रियों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना।
  - **अधिक फैब संयंत्रों की स्थापना:** सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्रों की संख्या में वृद्धि करना।
  - **ATMP-OSAT उद्योग को और सुदृढ़ करना:** असेंबली, परीक्षण, मार्किंग एवं पैकेजिंग तथा आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण उद्योग की क्षमताओं का विस्तार करना।
  - **अनुसंधान एवं विकास:** सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
  - **प्रतिभा विकास:** इस क्षेत्र के लिए कुशल एवं विशिष्ट मानव संसाधन तैयार करना।

Schemes under ISM

- **Semiconductor Fabs Scheme**: Provides up to 50 per cent fiscal support for setting up semiconductor wafer fabrication units, covering advanced and mature technology nodes.
- **Display Fabs Scheme**: Offers up to 50 per cent financial support to establish AMOLED and LCD display fabrication units in India.
- **Compound Semiconductors and ATMP/OSAT Scheme**: Supports compound semiconductor and chip assembly, testing and packaging units with up to 50 per cent capital assistance.
- **Design Linked Incentive Scheme**: With an outlay of ₹1,000 crore, supports chip design startups and MSMEs through R&D support and incentives of up to ₹15 crore per company.

स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर और प्रमुख सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियाँ

- माइक्रोप्रोसेसर आधुनिक डिजिटल अवसंरचना की आधारभूत परत हैं। ये दूरसंचार, परिवहन एवं गतिशीलता, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, रक्षा और अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों के उपकरणों एवं प्रणालियों को संचालित करते हैं।
- सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रमुख आधार के रूप में उन्नत प्रोसेसर डिजाइन की संप्रभु क्षमताएँ विकसित करने के लिए भारत ने लक्षित निवेश किए हैं।
- इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि DHRUV64 का शुभारंभ है। यह माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम (MDP) के अंतर्गत उन्नत प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (C-DAC) द्वारा विकसित पूर्णतः स्वदेशी 64-बिट माइक्रोप्रोसेसर है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **उच्च पूँजी निवेश:** सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्रों की स्थापना के लिए कई अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होती है। साथ ही, इन परियोजनाओं को परिचालन स्तर तक पहुँचने में लंबा समय लगता है।
- **प्रौद्योगिकी-प्रधान उद्योग:** सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए अत्यंत उन्नत प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है, जिनका निरंतर विकास होता रहता है।
- **आयातित उपकरणों पर निर्भरता:** भारत उन्नत सेमीकंडक्टर विनिर्माण उपकरणों और विशिष्ट मशीनरी के लिए अब भी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है।
- **अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएँ:** सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति, अति-शुद्ध जल तथा अत्यंत विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स अवसंरचना आवश्यक है।
- **कौशल की कमी:** इस उद्योग को सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन प्रक्रियाओं और चिप डिजाइन में प्रशिक्षित अत्यधिक विशिष्ट कार्यबल की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, सेमीकंडक्टर पारितंत्र के निर्माण से आगे बढ़कर उसके सुदृढ़ीकरण और वैश्विक एकीकरण की दिशा में एक निर्णायक परिवर्तन को दर्शाता है।
- विनिर्माण, डिजाइन और उन्नत कौशल के विकास को अधिक समर्थन देकर ISM 2.0 सेमीकंडक्टर क्षेत्र को एक रणनीतिक राष्ट्रीय क्षमता के रूप में स्थापित करता है, जो आर्थिक लचीलेपन, डिजिटल अवसंरचना और प्रौद्योगिकीय संप्रभुता के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

स्रोत: TH

रिचर्ड जे. रॉबर्ट्स द्वारा भारत और विकासशील देशों के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों का समर्थन

संदर्भ

- चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 1993 के नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड जे. रॉबर्ट्स ने इस विचार को खारिज किया कि भारत द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों को अपनाने से भारतीय विदेशी कंपनियों पर निर्भर हो जाएँगे।

भारत में GM फसलों की शुरुआत

- वर्ष 2002 में सरकार ने बीटी कपास की व्यावसायिक खेती को स्वीकृति दी।
  - क्राई1एसी (cry1Ac) जीन युक्त प्रथम बीटी संकर किस्मों को बॉलवर्म (गूलर कीट) समूह के कीटों से प्रतिरोध प्रदान करने के उद्देश्य से स्वीकृति दी गई।
  - वर्ष 2006 तक, आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (GEAC) ने बोलगार्ड II को स्वीकृति दे दी थी। यह दो जीनों को एक साथ समाहित करने वाली दूसरी पीढ़ी की संकर किस्म है।
  - अब तक भारत में केवल इसी आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल की खेती की अनुमति दी गई है।
- वर्ष 2010 में सरकार ने बीटी बैंगन , जो इस सब्जी की आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म है, पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया।
  - यह निर्णय इसकी सुरक्षा, किसानों पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव तथा आनुवंशिक संशोधन प्रौद्योगिकी के विदेशी स्वामित्व के निहितार्थों पर कई वर्षों तक चली परिचर्चा के बाद लिया गया।

- वर्ष 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने GM सरसों को पर्यावरण में जारी करने के मामले में विभाजित निर्णय दिया, लेकिन केंद्र सरकार को GM फसलों के संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार करने का निर्देश सर्वसम्मति से दिया।

GM फसलें क्या हैं?

- वे फसलें जिनके DNA में परिवर्तन करने के लिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी की प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलें कहलाती हैं।
  - **क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स (CRISPR):** यह जीन-संपादन की एक तकनीक है, जिसमें गाइड RNA, Cas9 एंजाइम को किसी जीव के DNA में एक निर्धारित स्थान तक पहुँचाता है। वहाँ यह एंजाइम DNA को काटता है, जिससे वैज्ञानिक उस स्थान पर जीन में परिवर्तन कर सकते हैं या नए जीन सम्मिलित कर सकते हैं।
- यह संशोधन कीटों या खरपतवारनाशकों के प्रति प्रतिरोध, बेहतर पोषण गुणवत्ता अथवा अधिक उपज जैसे वांछनीय गुण विकसित करने के लिए किया जाता है।
- GM फसलों के निर्माण की प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं—
  - वांछित गुणों की पहचान करना।
  - संबंधित जीन को अलग करना।
  - उस जीन को फसल के जीनोम में प्रविष्ट कराना।
  - संशोधित गुण की अभिव्यक्ति सुनिश्चित करना।
- GM फसलों में उपयोग की जाने वाली प्रमुख तकनीकों में जीन गन, विद्युत्-छिद्रीकरण , सूक्ष्म अंतःक्षेपण तथा एग्रोबैक्टीरियम-आधारित तकनीक शामिल हैं।
- आनुवंशिक संशोधन के प्रमुख प्रकार हैं— ट्रांसजेनिक , सिस्जेनिक , सबजेनिक तथा अनेक वांछित गुणों का एकीकरण।

नियामकीय ढाँचा

- भारत की नियामकीय व्यवस्था के अंतर्गत GM फसलों को पर्यावरण में जारी करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों तथा आनुवंशिक रूप से अभियांत्रित जीवों को नियंत्रित करने वाले वर्ष 1989 के नियमों के अंतर्गत आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (GEAC) की स्वीकृति आवश्यक है।
- भारत में GM फसलों को विनियमित करने वाले प्रमुख अधिनियम एवं नियम निम्नलिखित हैं—
  - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (EPA)
  - जैव विविधता अधिनियम, 2002
  - पादप संगरोध आदेश, 2003
  - विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत GM नीति
  - खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
  - औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम (आठवाँ संशोधन), 1988

प्रमुख चिंताएँ

- **जैव विविधता संबंधी जोखिम:** GM फसलें गैर-लक्षित जीवों को प्रभावित कर सकती हैं, एकल फसल प्रणाली को बढ़ावा दे सकती हैं तथा जीन प्रवाह के माध्यम से स्थानीय फसल किस्मों में आनुवंशिक परिवर्तन उत्पन्न कर सकती हैं। इससे जैव विविधता को खतरा हो सकता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:** GM फसलों में प्रयुक्त एंटीबायोटिक प्रतिरोधी मार्कर जीनों को लेकर चिंता व्यक्त की जाती है कि इनके संभावित प्रभाव से मनुष्यों में कुछ एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावशीलता कम हो सकती है। इससे एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी रोगजनकों के उभरने का जोखिम उत्पन्न होने की आशंका रहती है।
- **किसानों पर प्रभाव:** बीजों की अधिक कीमत, स्वामित्वाधीन प्रौद्योगिकी पर निर्भरता तथा वैकल्पिक बीजों की सीमित उपलब्धता किसानों की निजी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ा सकती है।
- **कृषि पर कॉर्पोरेट नियंत्रण:** GM प्रौद्योगिकी से संबंधित पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकारों के कारण बीजों तथा कृषि निवेशों पर नियंत्रण कुछ चुनिंदा कंपनियों के हाथों में केंद्रित हो सकता है।
- **कानूनी असंगतियाँ:** खेतों में परीक्षणों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर नागरिक समाज संगठनों ने प्रश्न उठाए हैं।
  - उनका तर्क है कि इस प्रक्रिया में सार्वजनिक परामर्श, स्वतंत्र समीक्षा और संसदीय निगरानी का अभाव है।
- **व्यापार एवं उपभोक्ता की पसंद:** विभिन्न देशों में GM खाद्य पदार्थों के नियमन संबंधी अलग-अलग नियम कृषि निर्यात को जटिल बना सकते हैं। वहीं, पर्याप्त लेबलिंग और उत्पादों की उत्पत्ति का पता लगाने की व्यवस्था के अभाव में उपभोक्ताओं की सूचित निर्णय लेने की क्षमता सीमित हो सकती है।

आगे की राह

- **वैज्ञानिक पारदर्शिता को सुदृढ़ करना:** GM फसलों की सुरक्षा और प्रभावकारिता का स्वतंत्र तथा समकक्ष-समीक्षित आकलन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विश्वास और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए परीक्षणों से संबंधित आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

- **जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना:** किसानों, वैज्ञानिकों और नागरिक समाज संगठनों के साथ खुले परामर्श आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि उनकी चिंताओं का समाधान किया जा सके।
- **स्थानीय फसल किस्मों का संरक्षण:** स्थानीय एवं देशज फसल किस्मों को आनुवंशिक संदूषण से बचाने के लिए बफर क्षेत्र और जैव-सुरक्षा संबंधी नियंत्रण उपाय अपनाए जाने चाहिए।
- **जैव-सुरक्षा एवं नैतिकता समितियों को सशक्त बनाना:** इन समितियों की स्वतंत्रता और जवाबदेही बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि GM फसलों के मूल्यांकन एवं नियमन में वैज्ञानिक निष्पक्षता तथा सार्वजनिक हित सुनिश्चित हो सके।

स्रोत: TH

कार्बन ग्रहण, उपयोग एवं भंडारण (CCUS)

समाचारों में

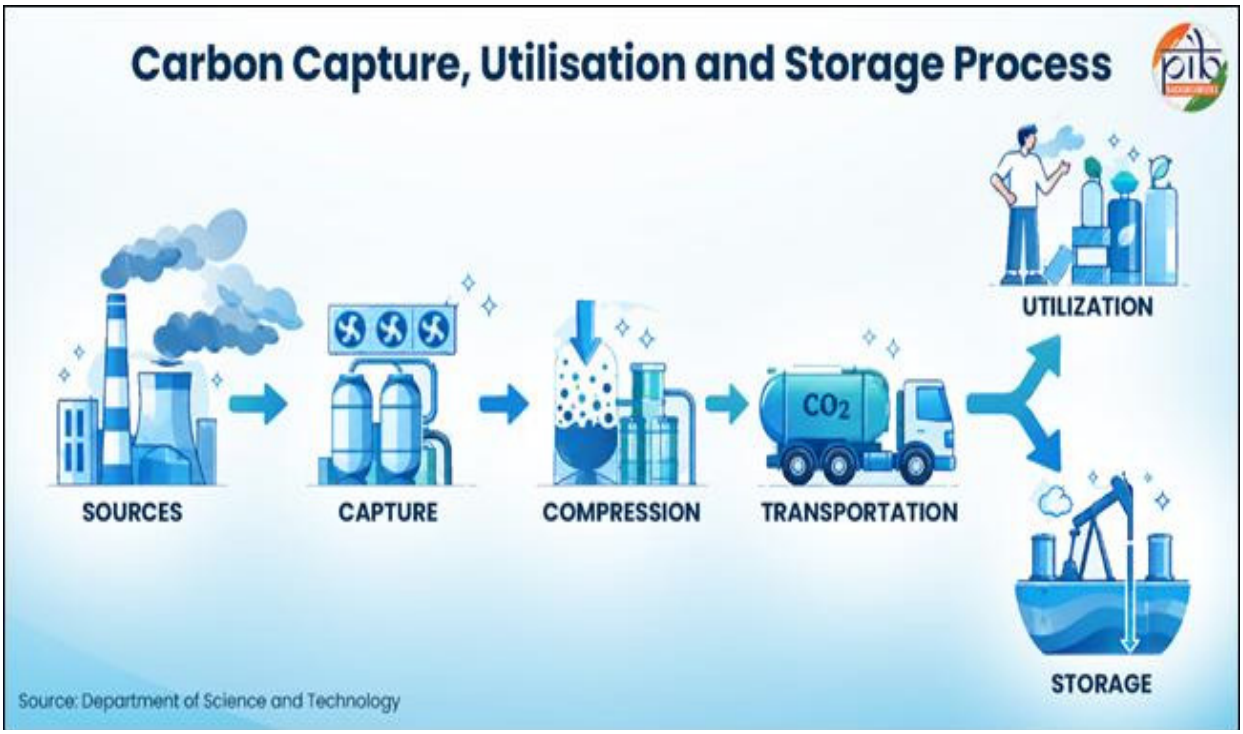
- नीति आयोग ने इस्पात, सीमेंट, तेल एवं गैस, पेट्रोरसायन, रसायन तथा उर्वरक जैसे उन क्षेत्रों को कार्बन-मुक्त करने के लिए कार्बन ग्रहण, उपयोग एवं भंडारण (CCUS) को महत्त्वपूर्ण बताया है, जहाँ कार्बन उत्सर्जन को कम करना अपेक्षाकृत कठिन है।

कार्बन ग्रहण, उपयोग एवं भंडारण (CCUS)

- यह उन विभिन्न प्रौद्योगिकियों के समूह को संदर्भित करता है, जिनके माध्यम से इस्पात, सीमेंट और विद्युत उत्पादन जैसे औद्योगिक क्षेत्रों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को ग्रहण किया जाता है, ताकि उसे वायुमंडल में प्रवेश करने से रोका जा सके।
- ग्रहण की गई CO_2 को या तो पृथ्वी के अंदर भंडारित किया जाता है अथवा विभिन्न रूपों में औद्योगिक उपयोग के लिए पुनः प्रयुक्त किया जाता है।

CCUS की प्रक्रिया एवं प्रमुख चरण

- **कार्बन का ग्रहण:** कार्बन ग्रहण, उपयोग एवं भंडारण (CCUS) प्रक्रिया में औद्योगिक उत्सर्जनों से CO_2 को अलग करना तथा उसके पश्चात उसका शुद्धीकरण, आर्द्रता हटाना और संपीड़न करना शामिल है।
- **ग्रहण से परिवहन तक:** ग्रहण की गई CO_2 को पाइपलाइन, जहाज अथवा अन्य उपयुक्त माध्यमों से उपयोग संबंधी सुविधाओं या भंडारण स्थलों तक पहुँचाया जाता है।
- **कार्बन का उपयोग एवं स्थायी भंडारण:** ग्रहण की गई CO_2 का उपयोग उन्नत तेल निष्कर्षण, खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्माण, यूरिया उत्पादन, हरित मेथनॉल निर्माण तथा कंक्रीट उत्पादन जैसे कार्यों में किया जा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए CO_2 को भूवैज्ञानिक संरचनाओं में गहराई में स्थायी रूप से भंडारित किया जा सकता है। इनमें समाप्त हो चुके तेल एवं गैस भंडार, गहरे लवणीय जलभृत तथा बेसाल्टिक चट्टानें शामिल हैं।



सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम

- भारत सरकार ने CCUS के विकास को आगे बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अनुसंधान, नीतिगत सुधारों तथा औद्योगिक पहलों के माध्यम से विभिन्न कदम उठाए हैं।
  - ये उपाय वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की आधारशिला को सुदृढ़ करते हैं।
- **केंद्रीय बजट 2026–27 — CCUS योजना:** फरवरी 2026 में घोषित इस योजना के अंतर्गत वित्त मंत्रालय ने पाँच प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों—विद्युत, इस्पात, सीमेंट, तेल शोधन और रसायन—में कार्बन ग्रहण, उपयोग एवं भंडारण को बढ़ावा देने के लिए पाँच वर्षों में ₹20,000 करोड़ आवंटित किए।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग — CCUS अनुसंधान एवं विकास रूपरेखा:** दिसंबर 2025 में प्रारंभ की गई इस रूपरेखा में CCUS से संबंधित अनुसंधान, वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी विकास और कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान की गई है। इसमें व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों की तैयारी, क्रांतिकारी नवाचारों तथा आवश्यक सहायक ढाँचों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- **नीति आयोग — CCUS नीतिगत रूपरेखा एवं तंत्र:** नवंबर 2022 में जारी इस रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के गहन कार्बन-मुक्तीकरण की रणनीति के रूप में CCUS की समीक्षा की गई है, जहाँ उत्सर्जन कम करना कठिन है। इसमें CCUS के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र-विशिष्ट नीतिगत उपाय भी प्रस्तुत किए गए हैं।
- **राष्ट्रीय CCUS केंद्र:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से वर्ष 2022 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), बॉम्बे और जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (JNCASR), बेंगलुरु में CCUS केंद्र स्थापित किए गए। ये केंद्र CCUS संबंधी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, प्रायोगिक स्तर पर प्रदर्शन तथा उद्योगों के साथ सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **भारत की CCUS पहल:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के संयुक्त नेतृत्व में भारत ने CCUS के क्षेत्र में एक व्यापक अनुसंधान अभियान प्रारंभ किया।
  - वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा मंच 'मिशन इनोवेशन' के अंतर्गत भारत ने 13 साझेदार देशों के साथ सहयोग किया। इस सहयोग का उद्देश्य CO_2 को ग्रहण करने, पृथक करने, सुरक्षित रूप से भंडारित करने तथा उसे उपयोगी मूल्यवर्धित सामग्रियों में परिवर्तित करने वाली प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाना था।
- **सीमेंट उद्योग के लिए पाँच CCU परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ:** 11 मई 2025 को भारत ने सीमेंट उद्योग के लिए कार्बन ग्रहण एवं उपयोग (CCU) की पाँच परीक्षण सुविधाओं के पहले समूह का शुभारंभ किया।
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के नेतृत्व में इस पहल के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से प्रमुख सीमेंट कंपनियों और अग्रणी अनुसंधान संस्थानों को एक साथ लाया गया है, ताकि औद्योगिक स्तर पर कार्बन ग्रहण एवं उपयोग की प्रौद्योगिकियों का विकास और कार्यान्वयन किया जा सके।

स्रोत: PIB

ग्रे-ज़ोन वॉरफेयर रणनीति एवं वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)

समाचारों में

- अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के विभिन्न स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई आमने-सामने की झड़पों ने ग्रे-ज़ोन वॉरफेयर रणनीति से जुड़ी चिंताओं को उजागर किया।

ग्रे-ज़ोन वॉरफेयर रणनीति (GZW) क्या है?

- यह संघर्ष का एक ऐसा स्वरूप है, जो पारंपरिक युद्ध की सीमा से नीचे रहता है, लेकिन अस्पष्टता, उत्तरदायित्व से मना करने की क्षमता और दबाव के माध्यम से रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
- चीन की इस रणनीति का आधार 'अप्रतिबंधित वॉरफेयर' की अवधारणा है। इसके प्रमुख साधनों में राजनीतिक कार्रवाई, आर्थिक दबाव, साइबर अभियान और गैर-राज्य अभिकर्ताओं का उपयोग शामिल हैं।
- चीनी जनमुक्ति सेना (PLA) 'तीन वॉरफेयर' की रणनीति का भी अनुसरण करती है। इसमें जनमत युद्ध, मनोवैज्ञानिक युद्ध और विधिक युद्ध शामिल हैं।

चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर इसका उपयोग कैसे करता है?

- **अवसंरचना:** सीमा के निकट G695 और G580 जैसे नए राजमार्गों का निर्माण, रेलवे लाइनों का निर्माण तथा हवाई पट्टियों और हेलिपोर्टों का उन्नयन।

- **'धीरे-धीरे अतिक्रमण और फिर बातचीत' (Nibble and Negotiate):** गश्त और निर्माण गतिविधियों के माध्यम से बुनियादी स्थिति में छोटे-छोटे बदलाव करना, जो समय के साथ जुड़कर बड़ा प्रभाव उत्पन्न करते हैं, लेकिन तत्काल किसी कड़ी प्रतिक्रिया को प्रेरित नहीं करते।
- **सीमावर्ती गाँव:** चीन ने लगभग 628 श्याओकांग गाँव विकसित किए हैं, जिनमें से अधिकांश अरुणाचल प्रदेश के सामने स्थित हैं। ये गाँव अग्रिम चौकियों के रूप में कार्य कर सकते हैं। इन्हें चीन के वर्ष 2022 के भूमि सीमा कानून का समर्थन प्राप्त है।
- **स्थानों का नामकरण:** अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों को चीनी नाम देना, ताकि मानचित्रों के माध्यम से अपने क्षेत्रीय दावों को समर्थन प्रदान किया जा सके।
- **व्यापक गठबंधन:** पाकिस्तान सहित एशिया, अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना, ताकि भारत पर दो मोर्चों से दबाव बनाया जा सके।

इसका सामना करना कठिन क्यों है?

- उच्चस्तरीय बैठकों के माध्यम से कुछ संघर्ष-बिंदुओं पर तनाव कम हुआ है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर मूलभूत मतभेद अब भी बने हुए हैं।
- वर्ष 2020 के बाद लद्दाख में पहले से निर्धारित गश्त-बिंदु अब दोनों पक्षों के लिए साझा संदर्भ-बिंदुओं के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य नहीं करते।
- राजनयिक संबंधों में मधुरता सीमा पर शांति की गारंटी नहीं देती। चीन सीमा विवाद को व्यापक द्विपक्षीय संबंधों से अलग मुद्दे के रूप में देखता है।

भारत क्या कर सकता है?

- **स्पष्ट राष्ट्रीय चीन रणनीति:** भारत को ऐसी स्पष्ट राष्ट्रीय रणनीति विकसित करनी चाहिए, जो सैन्य तत्परता, सीमा प्रबंधन, अवसंरचना, कूटनीति और अर्थव्यवस्था के बीच समन्वय स्थापित करे।
- **निगरानी एवं खुफिया क्षमताओं को सुदृढ़ करना:** बेहतर निगरानी व्यवस्था, खुफिया सूचनाओं का प्रभावी संकलन, सैनिकों की त्वरित तैनाती तथा रसद संबंधी क्षमताओं में सुधार किया जाना चाहिए।
- **सरल एवं प्रभावी कमान संरचना:** सीमा प्रबंधन के लिए अधिक सुव्यवस्थित कमान व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। एक मत के अनुसार, सेना के परिचालन नियंत्रण के अंतर्गत एक समर्पित सीमा बल, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की तुलना में अधिक तीव्रता से प्रतिक्रिया दे सकता है।
- **विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता:** भूमि और समुद्र, दोनों क्षेत्रों में विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जानी चाहिए, ताकि चीन द्वारा छोटे-छोटे क्षेत्रीय लाभ प्राप्त करने के प्रयास उसके लिए महँगे और जोखिमपूर्ण सिद्ध हों।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

खजुराहो के मंदिर

समाचारों में

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) खजुराहो के जवारी मंदिर में स्थित सिरविहीन विष्णु प्रतिमा के सिर का पुनर्निर्माण करने की योजना बना रहा है।

खजुराहो के मंदिर

- खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों का एक समूह है।
- इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासनकाल में लगभग 950 से 1050 ईस्वी के बीच किया गया था। इन पर उकेरी गई मूर्तियों में देवी-देवताओं, दिव्य प्राणियों, सामान्य जनजीवन और प्रेमी युगलों को दर्शाया गया है। इन मूर्तियों को स्थानीय रूप से उपलब्ध बलुआ पत्थर पर अत्यंत कुशलता से तराशा गया है।
- खजुराहो के मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। ये नागर शैली की स्थापत्य कला, प्रतीकात्मकता और कामुक मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं।
- 14वीं शताब्दी तक ये मंदिर एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बने रहे, लेकिन अंततः चंदेल वंश के पतन के साथ इनका महत्त्व भी कम हो गया।
- वर्ष 1838 में ब्रिटिश अभियंता टी. एस. बर्ट ने इन मंदिरों को पुनः खोजा। इसके बाद महाराजा प्रताप सिंह, अलेक्जेंडर कनिंघम तथा अन्य व्यक्तियों ने इनके अभिलेखीकरण और संरक्षण में योगदान दिया।
- खजुराहो और इसके मंदिरों का प्रारंभिक उल्लेख अबू रेहान अल-बिरूनी (1022 ईस्वी) तथा इब्न बतूता (1335 ईस्वी) के विवरणों में मिलता है।
- इन मंदिरों की मूर्तिकला हिंदू धर्म के जीवन के चार पुरुषार्थों को प्रतिबिंबित करती है, अर्थात् धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष।

प्रमुख विशेषताएँ

- खजुराहो के मंदिरों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है—पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी समूह।
  - **पश्चिमी समूह:** इसमें खजुराहो के कुछ भव्य मंदिर शामिल हैं, जिनमें देवी, वराह, लक्ष्मण, कंदारिया महादेव, पार्वती, विश्वनाथ और भैरव मंदिर प्रमुख हैं।
    - कनिंघम ने लिखा था कि पश्चिमी समूह, जिसमें पूरी तरह ब्राह्मणवादी अर्थात् हिंदू मंदिर शामिल हैं, सिब-सागर के तट पर स्थित है।
  - **पूर्वी समूह:** इसमें जवारी मंदिर शामिल है, जहाँ सिरविहीन विष्णु प्रतिमा स्थित है। इसके अतिरिक्त, इस समूह में हनुमान और शिव को समर्पित मंदिर भी हैं।
    - इस समूह में गाँव के दक्षिण-पूर्व में स्थित जैन मंदिरों का एक समूह भी शामिल है, जिसे आधुनिक परिधि-दीवार से संरक्षित किया गया है।
  - दक्षिणी समूह: इसमें दुलादेव और चतुर्भुज मंदिर शामिल हैं।

स्रोत: IE

अज़रबैजान

संदर्भ

- विदेश मंत्री एस. जयशंकर की हाल की बाकू यात्रा से अज़रबैजान के साथ भारत के संबंधों में नए सिरे से सुधार के संकेत मिले हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया था।

हालिया राजनयिक संवाद

- **व्यापार एवं निवेश:** दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग के विस्तार की संभावनाओं को स्वीकार करते हुए व्यापार और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के अवसरों की पहचान की।
- **ऊर्जा सहयोग:** चर्चाओं में तेल एवं ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आर्थिक साझेदारी के अतिरिक्त क्षेत्रों की संभावनाओं का पता लगाने पर ध्यान दिया गया।
- **संपर्क सुविधा:** दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के संबंध में अधिक निकट समन्वय स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।
- **क्षमता निर्माण:** भारत ने भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम में अज़रबैजान के पेशेवरों की भागीदारी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा।

अज़रबैजान

- अज़रबैजान एशिया में स्थित एक देश है, जिसकी सीमाएँ चार देशों—रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और ईरान—से लगती हैं।
  - इसके पूर्व में कैस्पियन सागर स्थित है।
  - देश के उत्तरी और पश्चिमी भाग का अधिकांश क्षेत्र काकेशस पर्वतों से आच्छादित है।
- यद्यपि अज़रबैजान की तटरेखा कैस्पियन सागर से लगती है, फिर भी इसे स्थलरुद्ध देश माना जाता है, क्योंकि न तो अज़रबैजान और न ही कैस्पियन सागर का खुले महासागर से सीधा संपर्क है।
- बाकू में वर्ष 1840 के दशक में पहले तेल कुओं की खुदाई की गई थी। इसे विश्व का प्रथम तेल नगर माना जाता है।
- अज़रबैजान में स्थित यानार दाग नामक प्राकृतिक अग्नि कम-से-कम 65 वर्षों से निरंतर जल रही है।



स्रोत: IE

लिकटेंस्टाइन

समाचारों में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में लिकटेंस्टाइन के वंशानुगत युवराज एलोइस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

लिकटेंस्टाइन के बारे में

- **शासन व्यवस्था:** लिकटेंस्टाइन एक छोटा यूरोपीय राजतंत्र है। यहाँ राजकुमार राष्ट्राध्यक्ष होता है, जबकि वंशानुगत युवराज एलोइस उसकी ओर से राष्ट्राध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करते हैं। यहाँ एकसदनीय संसद है, जिसे लैंडटाग कहा जाता है। इसकी प्रधानमंत्री ब्रिगिट हास हैं।

- लिकटेंस्टाइन ने वर्ष 1868 में अपनी सेना समाप्त कर दी थी और तब से तटस्थता की नीति अपनाई है। आंतरिक सुरक्षा का दायित्व पुलिस निभाती है।

- **भौगोलिक स्थिति:** यह आल्प्स पर्वत क्षेत्र में ऊपरी राइन घाटी में स्थित है। इसकी सीमाएँ स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से लगती हैं।
- **दोहरी स्थलरुद्ध स्थिति :** लिकटेंस्टाइन विश्व के केवल दो ऐसे देशों में से एक है, जो दोहरी स्थलरुद्ध स्थिति में हैं। इसका अर्थ है कि यह स्वयं स्थलरुद्ध है और इसके सभी पड़ोसी देश भी स्थलरुद्ध हैं। दूसरा देश उज्बेकिस्तान है।



महत्त्व

- **यूरोप के लिए:** लिकटेंस्टाइन यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) और यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) का सदस्य है। ये व्यवस्थाएँ इसे यूरोपीय तथा वैश्विक बाजारों से जोड़ती हैं।
- **भारत के लिए:** लिकटेंस्टाइन यूरोपीय बाजार तक पहुँच का एक माध्यम और निवेश का स्रोत है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, वित्त तथा नवाचार के क्षेत्र में इसकी क्षमताएँ भारत की निवेश एवं प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ावा देने की प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं।

स्रोत: TH

अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)

संदर्भ

- अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) भारत की वृद्ध होती जनसंख्या की बहुआयामी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक एवं निरंतर विकसित होने वाली व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है।

परिचय

- **नोडल मंत्रालय:** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE)।
- **शुरुआत:** वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई AVYAY योजना ने पहले से संचालित वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPSrC) को अपने अंतर्गत समाहित करते हुए उसका विस्तार किया। इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित अनेक पहलों को एक ही व्यापक योजना के अंतर्गत लाया गया।
- **प्रकृति:** यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करना तथा सक्रिय और उत्पादक वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करना है।



क्या आप जानते हैं?

- भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन धीरे-धीरे हो रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार, देश में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या 10.38 करोड़ थी।
- वर्ष 2036 तक भारत की वृद्ध जनसंख्या बढ़कर 23 करोड़ होने का अनुमान है। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक व्यापक सहायता प्रणाली विकसित करने की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित करता है।

स्रोत: PIB

अवसंरचना निवेश न्यास (InvITs)

संदर्भ

- भारत में अवसंरचना निवेश न्यास (InvITs) अधिक निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। इससे घरेलू बचत को सड़कों, विद्युत पारेषण नेटवर्क और अन्य अवसंरचना परिसंपत्तियों में निवेश करने का एक संभावित माध्यम उपलब्ध हो रहा है।

भारत के अवसंरचना निवेश न्यास (InvITs) के बारे में

- अवसंरचना निवेश न्यास ऐसे निवेश साधन हैं, जो म्यूचुअल फंड की तरह कार्य करते हैं।
- इनके माध्यम से व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशक अवसंरचना परियोजनाओं में सीधे निवेश कर सकते हैं तथा प्रतिफल के रूप में उनसे होने वाली आय का एक हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं।
    - InvIT की संरचना कई स्तरों वाली होती है। इसमें प्रायोजक InvIT की स्थापना करता है, जो पात्र अवसंरचना परियोजनाओं में सीधे अथवा विशेष प्रयोजन माध्यमों (SPVs) के जरिए निवेश करता है।
- **नियामकीय ढाँचा:** भारत में InvITs का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा SEBI (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) विनियम,2014 के अंतर्गत किया जाता है।
- **आय का वितरण:** SEBI के नियमों के अधीन InvITs अपने शुद्ध वितरण योग्य नकदी प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा निवेशकों में वितरित करते हैं।
- **कारोबार की सुविधा:** सूचीबद्ध InvIT इकाइयों को शेयर बाजारों में खरीदा और बेचा जा सकता है। इससे निवेशकों को तरलता अर्थात् आवश्यकता पड़ने पर निवेश को नकदी में बदलने की सुविधा मिलती है।

स्रोत: TH

■■■